न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–09/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. धोल्या पुत्र स्व0 श्री जुम्मा, जाति कंजर नट,
2. पन्नालाल पुत्र श्री रसीद, जाति कंजर नट,
3. केरा पुत्र श्री रसीद, जाति कंजर नट,
4. विनोद पुत्र श्री नन्दलाल, जाति कंजर नट, निवासीयान ग्राम जाहरखेडा का बास, तहसील अलवर।

..... अपीलांट्स वादीगण

बनाम

1. बसीर पुत्र श्री चांद सिंह, जाति फकीर (मृतक)
   1/1 दीन मौहम्मद पुत्र श्री बसरी, जाति फकीर,
   1/2 दुल्ली खॉ पुत्र श्री बसरी, जाति फकीर
   1/3 इस्माल पुत्र श्री बसरी जाति फकीर
   1/4 जसमाल पुत्र श्री बसरी जाति फकीर
2. चांदमल पुत्र श्री नूरअली जाति फकीर (मृतक)
   2/1 फकीरा पुत्र चांदमल जाति फकीर निवासीयान ग्राम साहडोली तहसील रामगढ,
3. मानसिंह पुत्र जौधसिंह, जाति मेव,
4. कमरूदीन पुत्र मेहताब जाति मेव,
5. धूरली पुत्र रूडा जाति मेव
6. रामलाल पुत्र मेदसिंह, जाति मेव
7. उदी पुत्र मेदसिंह, जाति मेव निवासीयान ग्राम ठेंगी का बास साहडोली, तहसील रामगढ
8. खवासी पुत्र नूरा, जाति मेव
9. खैराती पुत्र श्री मल्हार जाति मेव
10. इमरत पुत्र श्री मल्हार जाति मेव,
11. हुरमत पुत्र श्री मल्हार जाति मेव, निवासीयान ग्राम साहडोली तहसील रामगढ

..... असल रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण

12. मगन पुत्र सकूर जाति कंजर नट
13. शिवलाल पुत्र रसीद (मृतक)
14. नन्दलाल पुत्र मजीद (मृतक)
15. जम्मू पुत्र मजीद जाति कंजर नट
16. रघुवीर पुत्र मजीद जाति कंजर नट

17. अजय पुत्र नन्दलाल जाति कंजर नट
18. शकीन पुत्र नन्दलाल जाति कंजर नट
19. मुकेश पुत्र श्री नन्दलाल जाति कंजर नट
20. सोनू पुत्र शिवलाल जाति कंजर नट
21. मोनू पुत्र शिवलाल जाति कंजर नट
22. अमर पुत्र शिवलाल जाति कंजर नट निवासीयान ग्राम जाहरखेडा का बास तहसील व जिला अलवर।

.....तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री आशीष खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–12.03.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ कैम्प कोर्ट साहडोली के निर्णय दिनांक 10.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिस वाद को तहत अदालत द्वारा कैम्प कोर्ट में निस्तारित करते हुये अपना आदेश दिनांक 10.05.2017 द्वारा डिक्री किया गया है। तहत अदालत के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । विवादित आराजी का विवरण दिया। अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट साहडोली में पारित किया गया है जिसकी बाबत ना तो वादीगण को कोई सूचना दी गई और ना ही वादीगण उस दिन कैम्प कोर्ट साहडोली में हाजिर थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय वादीगण के खिलाफ बाला बाला एकतरफा में सादिर फरमाया है। कानूनन कैम्प कोर्ट में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जो राजीनामा के आधार पर अथवा आपसी सहमति या समझाईश से निस्तारित हो सकते हों, कैम्प कोर्ट में मैरिटस पर कोई भी निर्णय सादिर नही फरमाया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का यह दर्ज करना गलत है कि प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी संख्या 04 के अलावा समस्त प्रतिवादीगण की मृत्यु हो चुकी है, इस बाबत ना तो प्रतिवादीगण की ओर से कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है और ना ही प्रतिवादीगण के स्वर्गवास होने की तिथि आदि दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मौका पर्चा पटवारी हल्का के आधार पर इस तथ्य को सही होना मानते हुये वाद वादीगण

खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया है वह पर्चा हम अपीलांट के खिलाफ बाला बाला में इकतरफा में तैयार किया गया है, जबकि पत्रावली पर केवल प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बसीर व चांदमल के मृत्यु होने का प्रमाण पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार अधिक से अधिक प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की मृत्यु होना माना जा सकता था और जिसके लिये वादीगण को उनका मरम्मत सवाल पेश करने का मौका दिया जाना चाहिये था अथवा विकल्प में केवल उक्त प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खिलाफ दावा अबेट किया जा सकता था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण दावा खारिज फरमाये जाने में अहम कानूनी गलती की है। तहत अदालत का यह दर्ज करना भी गलत है कि दावे में अंकित आराजी व रिकार्ड में अंकित आराजी में भिन्नता पाई गई है।अधीनस्थ न्यायालय ने यह दर्ज नही किया है कि किस प्रकार कौनसे खसरा नंबर अथवा रकबे में भिन्नता पाई गई है।पटवारी हल्का से जो जांच कराया जाना बताया गया है वह भी मौके के खिलाफ है, और वादीगण को बालाबाला इकतरफा में तैयार की गई है। जिसके आधार पर बिना वादीगण को सुने हुये वाद खारिज नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 10.05.2017 निरस्त फरमाया जाकर पुनः विचारण के लिये अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि वादीगण द्वारा जो दावा विवादित आराजी बाबत पेश किया गया था वह गलत था। विवादित आराजी पर ना तो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कभी कब्जा रहा ना अभी है। प्रतिवादी संख्या 02 की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व दिनांक 20.06.2005 को हो चुकी थी। इसलिये मृतक व्यक्ति के खिलाफ दावा पेश किया गया था जिसके खिलाफ कोई वाद कारण उक्त विवादित आराजी बाबत वादीगण को पैदा नही होता। प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु भी दिनांक 07.09.2016 को हो चुकी है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत किया जाना संभव नही है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व उनके वारिसान का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही वर्तमान में है। विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व उनके वारिसान का किसी प्रकार से कोई लेना देना नही है। तहत न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2017 का अवलोकन किया।

तहत अदालत द्वारा उक्त वाद प्रकरण संख्या 1/23.06.2014 को दर्ज रजि. किया गया। दिनांक 11.02.2017 को लोक अदालत में सहमति नही बनने के कारण निस्तारण नही हो सका एवं पत्रावली पेशी दिनांक 28.03.2017 को तलबी में नियत की गई। पुनः लोक अदालत कैम्प साहडोली निर्णय दिनांक 10.05.2017 को निम्न कारणों के आधार पर वाद पत्र खारिज किया गया–

(1) दावा के अभिवचनों व प्रस्तुत रिकार्ड में भिन्नता के आधार पर।
(2) पटवारी की मौका रिपोर्ट में पक्षकारों की मृत्यु होने पर।

जब एक बार वादपत्र दर्ज रजि0 होकर पत्रावली तलबी में थी तो न्यायालय द्वारा वादपत्र नामंजूर करने का कारण आदेश 07 नियम 11 में वर्णित दशाओं के आधार पर ही नामंजूर किया जा सकता है। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा आदेश 07 नियम 11 के अनुसार वाद पत्र नामंजूर किए जाने का भाव विधिक अनुसार नहीं है।

इसी प्रकार तहत अदालत द्वारा केवल पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जारी किया है वह आदेश 22 नियम 1 से 5 की पालना नही की गई है। लोक अदालत में केवल सहमति के ही प्रकरण निपटाये जाने के प्रावधान है, एक पक्षीय कार्यवाही करने के नहीं।

स्वयं तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 11.02.2017 में भी इसी भावना का अंकन है, परन्तु दिनांक 10.05.2017 को बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये, बिना सुनवाई का अवसर दिये हुये वाद पत्र खारिज किया है, जो आदेश अवैध, मनमाना व असम्यक् है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ कैम्प कोर्ट साहडोली के निर्णय दिनांक 10.05.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जबावदावा लेते हुये, विवाद्यकों की रचना करते हुये, साक्ष्यों की परीक्षा–प्रतिपरीक्षा करते हुये, पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये तनकीवार पुनः विधि अनुसार अपना निर्णय पारित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। मूल पत्रावली तहत अदालत को निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित किया जावे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.04.2020 को तहत अदालत में उपस्थित हो।

12.3.20

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर